न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष— आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3840—एक/14 विरूद्ध आदेश, दिनाक 22—7—2014 पारित द्वारा तहसीलदार सागर के प्रकरण कमांक 23/अ—12/13—14.

सुनील तनय रतनचंद्र जैन
निवासी गांधी चौक वार्ड सागर
तहसील व जिला सागर म0 प्र0
हाल निवासी प्रभाकर नगर मकरोनिया सागर
तहसील व जिला सागर म0 प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

म0 प्र0 शासन .....अनावेदक

श्री विनोद जैन, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6.1.16 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 3840—एक/14 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार सागर के प्रकरण कमांक 23/अ—12/13—14 में पारित आदेश दिनांक 22—7—2014 के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ है।

2./ प्रकरण में ग्राह्यता पर तर्क सुने गए एवं उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया गया । निगराकार सुनील ने तहसीलदार सागर के समक्ष तहसील सागर, मौजा मकरौनिया बुजुर्ग, खसरा नंबर 43/2 में से 1250 वर्ग फीट के सीमाकंन हेतु आवेदन लगाया, जिसे तहसीलदार ने आक्षेपित आदेश से "व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदक की रजिस्ट्री शून्य घोषित" किए गए होने के आधार पर खारिज किया ।

प्रकरण से संबंधित प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, सागर के व्यवहार वाद कमांक 16ए/2010 के आदेश दिनांक 18—7—13 द्वारा निगराकार सुनील के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र को शून्य घोषित करते

हुए निगराकार सुनील को वाद सम्पत्ती का आधिपत्य छोड़ने का निर्देश जारी किया गया । (इसी का आधार तहसीलदार ने आक्षेपित आदेश में लिया) । इसके विरूद्ध निगराकार सुनील ने उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रथम अपील क्रमांक 721/2013 प्रस्तुत की, जिसमें 28–10–13 को वाद सम्पत्ती पर आधिपत्य को लेकर यथास्थिति का आदेश हुआ, जिसे दिनांक 29–1–14 को वाद लंबित रहने तक के लिये यथावत रखने का आदेश हुआ ।

3/ निगराकार अधिवक्ता का तर्क है कि प्रत्येक भूधारक को अपनी भूमि सीमांकित कराने का अधिकार है । यह महत्वहीन है कि उस भूमि के बारे में किसी न्यायालय में कोई वाद, कार्यवाही आदि लंबित है । (1998 राजस्व निर्णय 318, रामरतन वि0 मोतीराम एवं अन्य)।

4/ विचारोपरान्त मैं प्रकरण में निम्न बिन्दु महत्वपूर्ण पाता हूँ :–

(1) माननीय उच्च न्यायालय ने वाद लंबित रहने तक के लिए वाद सम्पत्ती पर आधिपत्य यानि कब्जे को लेकर के स्थगनादेश जारी किया है । इसका अर्थ है कि वाद सम्पत्ती पर स्थगनादेश की दिनांक 28–10–13 को जिसका भी जिस–जिस प्रकार से कब्जा था, वह माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन रहने तक यथावत् रहना चाहिए, जिसे यथावत् रखना समस्त पक्षकारों एवं संबंधित शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों का संयुक्त दायित्व है । साथ ही, केवल कब्जे की यथास्थिति बनाए रखने का अर्थ उसें (यानि कब्जे के) आधार पर अन्य किन्ही अधिकारों को उद्भूत करा लेने का अधिकार मिल जाना नहीं मान लिया जाना चाहिए, वह भी तब जब वाद माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो ।

(2) निगराकार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत 1998 राजस्व निर्णय 318, रामरतन वि0 मोतीराम एवं अन्य भू–धारियों के सीमांकन के अधिकार के संबंध में है । संहिता में भू–धारी की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार भू–धारी राज्य सरकार से भूमि धारण करता है और संहिता के उपबंधों के अधीन भूमिस्वामी है । साथ ही, भूमिस्वामी अपनी भूमि के अधिकारों का स्वामी होना बताया गया है । वर्तमान प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष (प्रथम अपर जिला न्यायाधीश सागर के व्यवहार वाद क्रमांक 16ए/2010 के आदेश दिनांक 18–7–13 के विरूद्ध) प्रचलित अपील में निगराकार सुनील के वाद सम्पत्ति/भूमि के अधिकारी का स्वामी होने का प्रश्न ही विचाराधीन है । अतः, केवल कब्जा होने के आधार पर निगराकार सुनील को इस सम्पत्ती का भूमिस्वामी या भू–धारी नहीं माना जा सकता । परिणामस्वरूप 'भू–धारी के सीमाकंन के अधिकार' के संबंध में केवल कब्जे के आधार पर प्रस्तुत न्यायदृष्टांत का वह (निगराकार सुनील) लाभ नहीं उठा सकता ।

5/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में मैं तहसीलदार सागर को यह निर्देश देता हूँ कि वे यह देखे कि कब्जे के अतिरिक्त क्या कोई ऐसे आधार उनके समक्ष हैं जिनसे वे निगराकार सुनील के वाद संपत्ती के (संहिता के उपबंधों के अनुसार) भूमिस्वामी होने संबंधी दावे को मान सकते हों, या इस संबंध में समाधान के लिए उन्हें माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन संबंधित अपील के निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी, जहॉ वाद भूमि के अधिकार का बिन्दु ही अपील में विचाराधीन है । इस बिन्दु पर तहसीलदार बोलता हुआ निष्कर्ष पहले अभिलिखित करें । तदुपरान्त निगराकार सुनील के वाद सम्पत्ती के (संहिता के प्रावधानों के अनुसार) भूमिस्वामी एवं भू–धारी संबंधी अपने समाधान एवं बोलते हुए निष्कर्ष को शामिल करते हुए, तहसीलदार निगराकार सुनील द्वारा प्रस्तुत सीमाकंन के आवेदन पर 1998 राजस्व निर्णय 318 के प्रकाश में बोलता हुआ निर्णय लें । तब तक के लिये उनका आक्षेपित आदेश दिनांक 22–7–14 प्रभावहीन रहेगा । साथ ही यदि माननीय उच्च न्यायालय के अधिपत्य संबंधी स्थगनादेश के कियान्वयन के लिये तहसीलदार किसी प्रकार की स्थल पर कार्यवाही सीमांकन आदि करना आवश्यक समझते हैं, तो वे ऐसा करने के लिए मुक्त हैं ।

प्रकरण प्रत्यावर्तित कर समाप्त किया जाता है ।
पक्षकार एवं तहसीलदार सागर सूचित हो ।
दा0द0 हो ।

6.1.16.

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर